न्यूज रिलीज़

रोडसाइड कामगारों की सुरक्षा को प्राथमिकता

08 अगस्त, 2023

सभी रोडसाइड कामगारों की सुरक्षा में सहायता के लिए अलबर्टा सरकार नियमों को पुख्ता बना रही है।

सभी अलबर्टा वासियों - कामगारों और ड्राइवरों - की सड़क पर सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। केवल दो प्रांत ऐसे हैं जिनमें मूव ओवर कानून नहीं है, और अलबर्टा उनमें से एक है, लेकिन अलबर्टा सरकार ने उसे अब बदल दिया है।

सभी रोडसाइड कामगारों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए, 1 सितम्बर से, रोड की साइड में फ्लैश करती लाइटों के साथ पार्क किए गए रोडसाइड कामगार वाहन से सबसे समीपवर्ती लेन के ड्राइवरों को अपने वाहन की स्पीड को 60 कि.मी./घंटा या दर्शाई गई स्पीड लिमिट, जो भी कम हो, तक धीमा करना होगा। ड्राइवरों को सबसे दूर वाली लेन में अपने वाहन को ले जाना होगा यदि ऐसा करना सुरक्षित है और दूसरे ड्राइवरों को आगे जाने का रास्ता प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।

वर्तमान में, *ट्रैफिक सेफ्टी एक्ट* के तहत केवल टो ट्रक ड्राइवरों और फर्स्ट रेस्पोंडर्स को ही सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन अब रोड के किनारे रुके सभी रोडसाइड कामगारों को यह सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिनकी फ्लैशिंग लाइटें सक्रिय हैं।

नए रोडसाइड कामगार सुरक्षा नियम सभी रोडसाइड कामगारों पर लागू होंगे, जिनमें फर्स्ट रेस्पोंडर्स, टो ट्रक ऑप्रेटर्स, राजमार्ग रख-रखाव कामगार तथा स्नोप्लाउ ऑप्रेटर्स शामिल हैं।

सभी रोडसाइड कामगारों के लिए, वाहन को धीमा करने और आगे बढ़ने से हर किसी की सुरक्षा तय होगी और यह सुनिश्चित होगा कि वाहनों की आवाजाही सुगम बनी रहे। इन परिवर्तनों को लागू करने में मदद के लिए, रोडसाइड कामगारों और स्नोप्लाउ के समीप से गुज़रते समय असुरक्षित व्यवहार के लिए जुर्माने तथा दोष (डिमेरिट्स) लगाए जाएंगे।

संक्षिप्त तथ्य

- अलबर्टा कामगार क्षतिपूर्ति बोर्ड (WCB) के अनुसार, 2014 से 2018 के बीच में वाहनों से टकराने के कारण 2,229 कामगारों को चोटें लगी थीं।
- मार्च, 2018 से मार्च, 2021 के दौरान, 130 टक्करें हुई थीं जिनमें ट्रांसपोर्टेशन और इकोनोमिक कॉरिडोर्स द्वारा ठेके में शामिल स्नोप्लाउ शामिल थे।
- 2022-23 की सर्दियों के दौरान, सरकारी ठेके पर लिए गए स्नोप्लाउज़ के साथ 37 टक्करें हुई थीं।
- इन नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन डिमेरिट पॉइंट लागू किए जा सकते हैं:
    - रुके हुए रोडसाइड कामगारों के पास से गुज़रते हुए अधिकतम स्पीड लिमिट तक वाहन को धीमा न करने पर $243 तथा तीन डिमेरिट पॉइंट।
    - किसी रुके हुए इमरजेंसी वाहन, टो ट्रक या रोडसाइड वर्क वाहन से सबसे दूर की ट्रैफिक लेन में दूसरे ड्राइवरों को जाने की सुविधा प्रदान न करने पर $243 तथा तीन डिमेरिट पॉइंट।
    - स्नोप्लाउज़ के पास से असुरक्षित रूप से गुज़रने पर $324 का जुर्माना तथा तीन डिमेरिट पॉइंट।

संबंधित जानकारी

- रोडसाइड कामगार सुरक्षा

संबंधित समाचार

- रोडसाइड कामगार सुरक्षा कार्यान्वयन (1 मार्च, 2023)
- रोडसाइड कामगारों की सुरक्षा में सुधार करना (16 मार्च, 2022)

मल्टीमीडिया

- न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखें